मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 10018 /NREGS-MP/NR-4/2011 भोपाल,दिनांक 20/10/11

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत मोबाईल बैंक के माध्यम से अकुशल श्रम का भुगतान।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पृष्ठाकंन क्र. 8253/एनआर–5/एनआरईजीएस–एम.पी./11 भोपाल दिनांक 10.8.11

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित स्कीम के अकुशल श्रम भुगतान हेतु व्यवस्था प्रदान की गई है।

इसी परिप्रेक्ष्य में कमिशनर/कलेक्टर कान्फ्रेंस दिनांक 06–07 अगस्त 2011 में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा निर्देश दिये गये थे कि मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के भुगतान को जिला कलेक्टर सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा निश्चित समय–समय में भुगतान सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्विस एरिया के अंतर्गत पांच किमी. की परिधि में राशि के भुगतान की व्यवस्था करें। जिन क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं होगी वहां अनूपपुर द्वारा किये गये मोबाईल बैंक के नवाचार प्रत्येक जिले में जहां आवश्यक हों वहां तत्काल प्रारंभ कराये जायें। इसी के साथ प्रत्येक विकास खण्ड में 25 सितम्बर 2011 तक मोबाईल बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाने के भी निर्देश थे। मोबाईल बैंकिंग आरंभ किये जाने के निर्देश संदर्भित शासनादेश में पूर्व से ही दिये गये हैं।

अतः निर्देशों का पालन किया जाना है साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा किये गये पालन प्रतिवेदन तथा सितम्बर 2011 अंत तक की स्थिति से तत्काल दिनांक 17 अक्टूबर 2011 तक संलग्न प्रारूप में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को अवगत करावें। इसी के साथ संलग्न प्रारूप की जानकारी प्रतिमाह की 05 तारीख तक म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को नियमितरूप से भेजी जाये। ताकि भविष्य में होने वाली समीक्षा बैठक में इस संबंध में अवगत कराया जा सके।

20/10

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

E:\Aks-icfa-JCFA Nemi Tecn. Letter. Notesheet\NERGS-MP- Letter-JCFA-2011-12.doc

पृ.क्रमांक/ 10019 /NREGS-MP/NR-4/2011 भोपाल,दिनांक 20/10 /11

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

E:\Aks-icfa-\JCFA Nemi Teen. Letter. Notesheet\NERGS-MP- Letter-JCFA-2011-12.doc

मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अकुशल श्रम भुगतान

क्र.	जिला	कब से लागू	बैंक का नाम	कुल लगाये गये वाहन	योजना कितने ब्लाकों मे लागू है	लाभांवित ग्राम पंचायते	कुल हितग्राही	वितरित अकुशल श्रम राशि योजना प्रांरभ से वित्त वर्ष 2010–11 अंत तक (करोड़ में)	वितररित अकुशल श्रम राशि वर्तमान वित्त वर्ष 2011–12 में माह सितम्बर अंत तक (करोड़ में)	कुल अकुशल श्रम भुगतान (करोड़ में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12